राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद
द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक-5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

SWSHE

फोन नं: 0141-2708487 E-Mail:- swshecell@hotmail.com फैक्स नः 0141-2708487

क्रमांक : F.5(4)(171)/RCEE/SWSHE/SHP/2018 / 5124 दिनांकः 10-1-19

gmail all the Block CBEO's

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान,
जिला-समस्त

विषय :- तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान धोषणा के क्रम में।

सन्दर्भ :- डॉ. पवन सिंघल, प्रोफेसर नाक, कान व गला तथा मस्तिष्क कैन्सर विशेषज्ञ, सवाई मानसिंह चिकित्सालय का दिनांक 29 अगस्त 2018 का "तम्वाकू मुक्त शिक्षा संस्था का" पत्र।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक, बूंदी

सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि देश में तम्बाकू उपयोग के कारण कैन्सर से होने वाली मौते सर्वाधिक हैं सारे देश में तम्बाूक उपयोग से होने वाले कैन्सर के कारण प्रति वर्ष 13 लाख तथा राजस्थान में 77 हजार व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है।

विभिन्न शोधों से ज्ञात हुआ है कि हमारे देश में 15 वर्ष से कम आयु के 5500 व राजस्थान में 290 बच्चे प्रतिदिन तम्बाकू सेवन के आदी हो रहे हैं। इनमें से मात्र 4% बच्चे ही तम्बाकू सेवन छोड़ पाते है। मनुष्य शरीर में होने वाले कैन्सर में से लगभग 50% कैन्सर सिर्फ तम्बाकू सेवन के कारण तथा मुँह एवं फेफडों के 90% कैन्सर का मूल कारण तम्बाकू सेवन है।

अतः विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को इस जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए उन्हें इसके दुष्परिणामों से अवगत कराना तथा शिक्षण संस्थाओं को तम्बाकू सेवन मुक्त क्षेत्र बनाना आवश्यक है। इस हेतु प्रत्येक विद्यालय में निम्नांकित कार्य सुनिश्चित किए जाएँ :-

1. भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून कोटपा 2003 (COTPA-Cigrettes and Other Tobacco Products Act) के :-
   (i) सैक्शन 4 के तहत किसी भी शिक्षण संस्था के अन्दर धूम्रपान व तम्बाकू सेवन प्रतिबन्धित है।
   (ii) सैक्शन 6 के तहत अवयस्क बच्चों को तथा उनके द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबन्धित है, तथा
   (iii) शिक्षण संस्था के समीपस्थ 100 गज क्षेत्र में तम्बाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबन्धित है।
   अतः विद्यालय के अन्दर तम्बाकू व तम्बाकू उत्पादों के उपयोग को प्रतिबन्धित घोषित किया जाए तथा विद्यालय के प्रवेश द्वार पर तम्बाकू उपयोग निषिद्ध क्षेत्र का बोर्ड लगाया जाए।
2. विद्यालय के मुख्य द्वार पर निम्नांकित बोर्ड लगाए जाए :-

(i)

> इस शिक्षण संस्थान के 100 गज की परिधि में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद का उपयोग एवं बेचना पूर्णतः प्रतिबन्धित है एवं ऐसा करते पाऐ जाने पर रू. 200/- का अर्थदण्ड लागू होगा।

(ii)

> धूम्रपान निषिद्ध क्षेत्र,
> यहां धूम्रपान व तम्बाकू का उपयोग दण्डनीय अपराध है।

(iii)

> यदि इस क्षेत्र में कोई भी तम्बाकू का उपयोग करता पाया जाए तो निम्नांकित को सूचित करें :-
> (शाला प्रधान का नाम)
> नाम :- ....
> पदनाम :- ....
> फोन नं. :- ....

www.rajteachers.com

3. प्रत्येक संस्था प्रधान द्वारा यह घोषणा की जाए :–

(i) विद्यालय के अन्दर सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद कहीं भी उपलब्ध नहीं है तथा इनका उपयोग निषिद्ध है।

(ii) विद्यालय में छात्र/छात्राओं, शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों द्वारा तम्बाकू उत्पादों का उपयोग नहीं किया जाता है।

4. प्रत्येक संस्था प्रधान द्वारा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को विद्यालय के मुख्य द्वार पर लगाए गए तम्बाकू उत्पाद प्रतिबन्धित क्षेत्र के बोर्ड की फोटो तथा विद्यालय परिसर तम्बाकू उत्पाद के उपयोग से मुक्त है, का घोषणा पत्र भिजवाया जाएगा। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले की समेकित सूचना एवं घोषणा पत्र परिषद कार्यालय को भिजवाया जाए। संस्था प्रधान तथा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिए जाने वाले घोषणा पत्रों का प्रारूप साथ में संलग्न हैं।

निर्देशित किया जाता है कि समस्त विद्यालयों में उपरोक्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना रिपोर्ट से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराया जाए। उपरोक्त निर्देशों की अनुपालना न करने वाले विद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।

(डॉ. नरेन्द्र कुमार गुप्ता)
राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान
3. निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर
4. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर, राजस्थान
5. डॉ. पवन सिंघल, प्रोफेसर ई.एन.टी. एवं मस्तिष्क कैन्सर एस.एम.एस, चिकित्सालय, जयपुर

www.rajteachers.com

(रिछपाल सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय

(तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान घोषणा पत्र)

जिला.....के सभी विद्यार्थियों को तम्बाकू के दुष्परिणामों से बचाने के लिए जिले के कुल .....(संख्या) विद्यालयों में से .....(संख्या) विद्यालयों को कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 व 6 के तहत निम्नांकित प्रावधानों के साथ तम्बाकू मुक्त विद्यालय घोषित किया गया हैं :–

1. विद्यालय में कोटपा एक्ट की धारा 4 के तहत " यह विद्यालय धूम्रपान निषिद्ध क्षेत्र हैं तथा यहां धूम्रपान दण्डनीय अपराध है" का बोर्ड लगाया गया है।

2. कोटपा एक्ट की धारा 6 के तहत विद्यालय के मुख्य द्वार व चार दिवारी पर यह बोर्ड लगाया गया है "विद्यालय के अन्दर व 100 गज की परिधि में तम्बाकू बेचना दण्डनीय अपराध है।"

3. विद्यालय के अन्दर किसी भी शिक्षक, कर्मचारी, छात्र--छात्राओं व आगन्तुकों द्वारा तम्बाकू व उसके उत्पादों का उपयोग नहीं किया जाता है तथा विद्यालय में तम्बाकू उपयोग के निशान जैसे थूक के पीक के निशान, बीडी /सिगरेट के टुकडें व तम्बाकू के पाऊच नजर नही आते हैं।

अतः जिले के .....(संख्या) विद्यालय तम्बाकू मुक्त घोषित किए जाते हैं।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी

दिनॉक .....

www.rajteachers.com

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान घोषणा पत्र

(संस्था प्रधान द्वारा)

प्रमाणित किया जाता हैं कि यह विद्यालय .....तम्बाकू मुक्त विद्यालय हैं तथा निम्नांकित मापदण्डो को पूरा करता है :–

1. विद्यालय में कोटपा एक्ट की धारा 4 के तहत " यह विद्यालय धूम्रपान निषिद्ध क्षेत्र हैं तथा यहां धूम्रपान दण्डनीय अपराध है" का बोर्ड लगाया गया है।

2. कोटपा एक्ट की धारा 6 के तहत विद्यालय के मुख्य द्वार व चार दिवारी पर यह बोर्ड लगाया गया है "विद्यालय के अन्दर व 100 गज की परिधि में तम्बाकू बेचना दण्डनीय अपराध है।"

3. विद्यालय के अन्दर किसी भी शिक्षक, कर्मचारी, छात्र–छात्राओं व आगन्तुकों द्वारा तम्बाकू व उसके उत्पादों का उपयोग नहीं किया जाता है तथा विद्यालय में तम्बाकू उपयोग के निशान जैसे थूक के पीक के निशान, बीडी /सिगरेट के टुकडें व तम्बाकू के पाऊच नजर नही आते हैं।

संस्था प्रधान के हस्ताक्षर

दिनॉक .....

www.rajteachers.com